राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील (आर.एस.टी) संख्या – 1195/2007/जयपुर

मैंसर्स नेहा एण्टरप्राईजेज, ए–94, लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत्त–डी, जयपुर .....प्रत्यार्थी

एकलपीठ

मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा
अभिभाषक। ..... अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह
उप–राजकीय अभिभाषक। ..... प्रत्यार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 11.02.2016

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यक कर, द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील सं. 35/2005–06 में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2007 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय क अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

1. अपीलकर्त्ता ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सहायक वाणिज्यक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत्त–डी, जयपुर (जिसे आग **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा गया है) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.03.2005, जो कर निर्धारण वर्ष 2002–03 के लिये धारा 29(4) के तहत् पारित आदेश, जिसमें अपीलकर्त्ता पर आरोपित कर रूपये 29,610/–, सरचार्ज रूपये 6,582/–, शास्ति धारा 65 के तहत् रूपये 68,104/–, शास्ति धार 68 के तहत् रूपये 1000/– व ब्याज धारा 58 के तहत् रूपये 1,22,591/– को चुनौती दी गयी।

2. अपीलीय अधिकारी ने उभय पक्ष को सुनने के पश्चात् यह अवधारित किया कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत् किये गये संव्यवहार पर अधिनियम की धार 29(4) के तहत् आदेश पारित करना प्रथम दृष्टया अविधिक एवं अनुचित है। अपीलार्थी को विवादित मांग राशियां कायम करने से पूर्व सुनवायी का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस तरह अपीलीय अधिकारी ने गुणावगुण पर विचार किये बिना, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2005 से आरोपित कर, शास्ति व ब्याज को अपास्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने के निर्देश दिये। अपीलार्थी को दिनांक 30.05.2007 को सुनवायी हेतु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश भी दिये गये।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में प्रमुखतः यह बिन्दु उठाया है कि अपीलीय अधिकारी ने जबं अपने निर्णय में यह स्वीकार कर लिया कि **"प्रथम दृष्टया कथित विक्रय संव्यवहार, बिल क्रमांक 10 दिनांक 24.02.2003, दस्तावेजों के अवलोकन से अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में प्रतीत होता है। अतः केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत् किये गये विक्रय संव्यवहार पर धारा 29(4) के तहत् आदेश पारित करना अविधिक एवं अनुचित है"** तो प्रकरण अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करना चाहिये था। प्रतिप्रेषण किया जाना उचित नहीं था।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री रामकरण सिंह, उपराजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथन दोहराते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित प्रतिप्रेषण (Remand) आदेश को अनुचित बताया एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

विभागीय प्रतिनिधि ने बहस में कहा कि अपीलीय अधिकारी ने विवादित संव्यवहार को अन्तर्राज्यीय संव्यवहार होने की अन्तिम रूप से रेकॉर्ड के आधार पुष्टि नहीं की है। केवल **"प्रथम दृष्टया विदित होता है"** शब्दों का प्रयोग किया है। अपीलार्थी को युक्तियुक्त सुनवायी का अवसर देने एवं अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत कर सकने के उद्देश्य से प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। अपीलार्थी के विरूद्ध कायम समस्त मांग को उक्त आदेश से अपास्त कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी का प्रतिप्रेषण आदेश से व्यथित होना सद्भावी कारण नहीं है।

5. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि अपीलीय अधिकारी को प्रकरण अपने स्तर पर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करना चाहिये था, प्रतिप्रेषण अविधिक एवं अनुचित था, स्वीकार योग्य नहीं है। प्रकरण विस्तृत सुनवायी का अधिकार प्रदान करने हेतु प्रतिप्रेषण करना अपीलीय अधिकारी का क्षेत्राधिकार है एवं इसमें कोई अविधिकता प्रकट नहीं होती है।

लिहाजा अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य